आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ़,तहसील :प्रतापगढ़
वाद संख्या :-6090/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570306090
'श्रीमती बचनवा देवी बनाम सरकार'
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद श्रीमती बचनवा देवी पत्नी श्री रामआसरे निवासी ग्राम अधारपुर (पूरे सेवकराय) पर० व तह० सदर प्रतापगढ़ के प्रार्थनापत्र जो आर०सी० प्रपत्र 25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर 80(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि ग्राम अधारपुर परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00192 की गाटा संख्या 156मि० क्षेत्रफल 0.131है० पर आवेदिका द्वारा मौके पर भूमि खाली है और उस पर कोई अकृषिक प्रयोग हो रहा है। वादग्रस्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न अकृषिक/व्यावसायिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार सदर से करायी गयी। लेखपाल की निर्धारित प्रारूप पर मय नजरी नक्शा, स्थल की फोटो सहित आख्या दिनांक 17.09.2022 राजस्व निरीक्षक की आख्या 18.09.2022 एवं तहसीलदार सदर दिनांक 18.09.2022 संलग्न पत्रावली है जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम अधारपुर परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00192 की गाटा संख्या 156मि० क्षेत्रफल 0.131है० पर आवेदिका द्वारा मौके पर भूमि खाली है और उस पर कोई अकृषिक प्रयोग हो रहा है। तहसीलदार सदर की आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को व्यावसायिक घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि हाइवे/किसी प्रयोजन से प्रस्तावित नहीं है। अभिलेखों तथा तहसीलदार की संलग्न आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की सामान्य अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। (धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 से आच्छादित नहीं है।) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार 02 प्रतिशत 9956 होता है। प्रश्नगत भूमि अकृषिक/व्यावसायिक होने के दृष्टिगत मु० 9956 रूपये जरिये चालान राजस्व कोषागार में जमा किया गया है, जिसे न्यायालय के रीडर/राजस्व अहलमद द्वारा सत्यापित किया गया है और संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम अधारपुर परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00192 की गाटा संख्या 156मि० क्षेत्रफल 0.131है० पर आवेदिका द्वारा मौके पर भूमि खाली है और उस पर कोई अकृषिक प्रयोग हो रहा है। जिसको अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। राजस्व संहिता की धारा 80(2) के अन्तर्गत घोषणा के उपरान्त यदि आवेदिका पांच वर्ष की अवधि के अन्दर गैरकृषिक सम्बन्धी कार्यवाही करने में विफल होता है तो धारा (2) के अधीन घोषणा व्यपगत हो जायेगी तथा इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण व अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं समाशोधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

<u>आदेश</u>

अतः श्रीमती बचनवा देवी पत्नी श्री रामआसरे निवासी ग्राम अधारपुर (पूरे सेवकराय) पर० व तह० सदर प्रतापगढ़ की भूमि स्थित ग्राम अधारपुर परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00192 की गाटा संख्या 156मि० क्षेत्रफल 0.131है० भूमि के सम्बन्ध में वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए धारा 80(2) के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय प्रयोग करते हुये प्रख्यापित किया जाता है। नियमानुसार 5 वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण निर्माण करके धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन करायें। लेखपाल का स्थलीय सत्यापन दिनांक 17.09.2022, राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आख्या दिनांक 18.09.2022 एवं तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 18.09.2022 आदेश का अंग होगा। पत्रावली सत्यापित अभिलेखों, आख्या तथा शपथपत्रों के असत्य या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यह आदेश उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 82 के तहत स्वतः निरस्त समझी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त किसी विपरीत अथवा मिथ्या तथ्य के संज्ञान में आने पर प्रभावित पक्ष का हित सुरक्षित माना जायेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराकर आख्या 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक सदर प्रतापगढ़ को भेजी जाय। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03.07.2

उपजिलाधिकारी
सदर,प्रतापगढ़।

उप जिलाधिकारी सदर
असिस्टेंट कलेक्टर
प्रतापगढ़